CONTINUOUS KHATIAN

परिशिष्ट क्रमांक ..... यदि सिकमी खतियान हो तो असल रैयत का नाम लिखें।

मौजा कुमा कुआंरा पुलिस थाना अंचल धनबाद थाना सं० 92 रेवेन्यु थाना जिला धनबाद खाता सं०

खतियान का सिलसिलेवार सं०	रैयत का नाम, पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान	क्षेत्र: खेतरा	क्षेत्र: चौहद्दी	किस्म जमीन	रकबा: ए०	रकबा: डी०	रकबा: हेक्टर	कैफियत	लगान बायत नामी खेती के निमित्त शर्त कब्जा लिया: हाकिम के तहकिकात मुताबिक लगान अलावे शेष	लगान बायत नामी खेती के निमित्त शर्त कब्जा लिया: ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	अनिल दत्त नगर्सी पिता मा० मुरीय	2.83	उ० निज द० निज	काश्त हो	9	32	.4384	ए			
	नगर्सी एक मौजा जाति ब्राह्मण का	9			9	32	.4384		ए० डी० हेक्टर मालगुजारी देना		खासमी
	इनके मुताबिक इसके सिवा मुखर्जी इसके एक मौजा जाति मारवाड़ी								मालगुजारी देना।		
	जैनन का शंकर प्रसाद पांडेय पिता		धारा 26 सिविल प्रक्रिया संहिता के मातहत धनबाद के 07.08.1964 अपने मौजा कोलाकुआरा, मौजा नं० 92, अंचल-धनबाद, थाना रेवेन्यू नियत थाना के 2 दफा नं० 263 रकबा 9.32 एकड़									
	मोतीलाल पांडेय एक मौजा जाति मारवाड़ी का है बाशिंदा		में से 2 एकड़ जमीन पर वादी आदित्य चौधरी को नंदन चौधरी को कालीपद चौधरी और उनके सभी								
	चतर्जी पिता स्व० नंदन चतर्जी		पिता स्व० मधुसूदन नाथ चौधरी को विजिट चौधरी को सुनीति चौधरी पिता स्व० नारायण								
	एक मौजा जाति ब्राह्मण का		चौधरी निवासी कोला कुमार थाना- सुरासकेला। मौजा-धनबाद जिला पान करने के लिए								
	शंकर निकारी पिता शंभु नंदन										
	निकारी का मौजा समान जाति										
	ब्राह्मण पौसं० निवासस्थान										
	पिता निवासस्थान एवं मौजा जाति										
	मुसलमान निवासी राजमाता चौन										
	मुरिका।										

प्रतिलिपि लिपिक द्वारा तैयार 21.07.2021

प्रमाणित सही 14.7.21

02/07/21

प्रतिलिपि

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 83 (2) के अन्तर्गत रूप से निर्णित एवं स्वत्व अभिलेख दिनांक 1.9.JAN.2009

प्रकाशित जाँच रूप से प्रकाशित स्वत्व अभिलेख दिनांक 21.JAN.2009 हस्ताक्षरित।

हस्ताक्षर
उपायुक्त पदाधिकारी धनबाद

Rita Kumari, नया - पुराना खतियान

REG